श्रीधर सी०, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में दिनांक–23.05.2014 को 11.00 बजे पूर्वाह्न कार्यालय कक्ष में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए भू–अर्जन संबंधी बैठक की कार्यवाही।

1.0 **उपस्थिति**

पंजी के अनुसार।

2.0 **कार्यवाही**

2.1 श्री सुधीर कुमार, सदस्य, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्षता में जिला अतिथि गृह, मुजफ्फरपुर में आयोजित समीक्षा बैठक के क्रम में सचिव, लोक निर्माण विभाग तथा अधोहस्ताक्षरी के द्वारा 28ए एन.एच. के निर्माण हेतु सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था । उक्त बैठक में ही सदस्य, एन.एच.ए.आई द्वारा कार्यकारी एजेन्सी मेसर्स तांतिया कन्ट्रक्शन प्रा०लि० से निर्माण कार्य के संबंध में विभिन्न प्रकार के कार्यो के लिए समय–सीमा निर्धारित करते हुए Mile Stones निर्धारित किया गया था, जिसका अनुश्रवण करने का दायित्व परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई० श्री शमीम अहमद का था।

2.2 आज की बैठक में विशेष रूप से लंबित भू–अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0	राजस्व गॉव का नाम	रैयतों की सं0		भूमि हस्तान्तरण की स्थिति	अभ्युक्ति
		भुगतान पूर्ण	भुगतान लंबित		
1	2	3	4	5	6
1.	फुलवरिया, सेमरा टोला बेला, सेमरा टोला हाट, बेला छपरा, पटखौलिया, लोकनाथपुर, पचरूखा, भवानीपुर, मोतिहारी वार्ड नं0–02 एवं 04, कटकेनवा, मुरला, बेला, कोल्हुअरवा, खोदानगर	शून्य	सभी	प्राक्कलन 3G स्वीकृत	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी तीन दिनों के अन्दर भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
2.	हरैया	43	36	भूमि हस्तान्तरित	
3.	सिंहपुर	38	53		
4.	जोकियारी	17	112		
5.	सेनुवरिया	02	12		
6.	सुगॉव	–	147		

7.	फुलवरिया ओझा	04	43	आज ही हस्तान्तरित	
8.	छपरा बहास	0	76	जिला भू-अर्जन पदा0 के यहाँ लंबित	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी तीन दिनों के अन्दर भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
9.	लाल परसा	0	26		
10.	सुकुलपाकड़	0	89		
11.	सुगौली शहरी क्षेत्र				

2.3 एन.एच. एक्ट के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रकिया सरल एवं सुचारू रूप से निर्धारित है। **अतः जिला भू-अर्जन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि प्रकिया का पालन करने हुए सभी राजस्व गाँवों में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित कर भूमि का हस्तान्तरण शीघ एन.एच.ए.आई. को दें।**

2.4 वैसे सभी मामलों, जिसमें भूमि के मुआवजा निर्धारण में विवाद है, के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, विवाचक (Arbitrator)के रूप में अधिसूचित हैं। **जिला भू-अर्जन पदाधिकारी वैसे सभी विवादों के समाधान हेतु अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को अभिलेख उपलब्ध कराएँगे तथा अपर समाहर्त्ता विवाचन (Arbitration) की कार्रवाई एक पक्ष में करते हुए समाधान करना सुनिश्चित करेंगे।**

2.5 **जिन मामलों में भू-धारी भुगतान प्राप्त करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, वैसे मामलों में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मुआवजा की राशि कोषागार में जमा करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे एवं अभिलेख संधारित करेंगे।**

2.6 श्री कुमार मंगलम, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि **सभी मामलों में प्रक्रिया का पालन करते हुए 10 दिनों के अन्दर भूमि का हस्तान्तरण की जाय। यदि भूमि का हस्तान्तरण नहीं होने के कारण योजना के कार्य में व्यवधान उत्पन्न होगा तो संबंधितों के विरूद्ध जवाबदेही निर्धारित करते हुए सरकार को प्रतिवेदित करने की आवश्यकता होगी।**

अतः उपर्युक्त सभी क्षेत्रों के अंचलाधिकारी, हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि सभी आवश्यक प्रशासनिक सहयोग जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को प्रदान करते हुए विवाचन (Arbitration) की कार्रवाई निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 1059 /गो0, दिनांक 27.05.14

प्रतिलिपि	सभी संबंधित अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि ***इसकी प्रति संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।***
प्रतिलिपि	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मोतिहारी/रक्सौल/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, मोतिहारी/रक्सौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि	परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि	अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 1059 /गो0, दिनांक 27.05.14

प्रतिलिपि	आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।